

NEW TDS/TCS PROVISIONS

Analysis of Section 194Q & 206C(1H)

Applicable from 01.07.2021

सरल टैक्स

इन्कम टैक्स व जी.एस.टी. की मासिक समाचार पत्रिका

सरल टैक्स में प्रत्येक माह आपको आसान भाषा में निम्न जानकारी प्राप्त होती है :-

- व्यापार जगत में काम आने वाले टैक्स कानून की जानकारी।
- नये नियम, नये नोटिफिकेशन, नये सर्कुलर, नये फैसलों की जानकारी।
- आपके टैक्स संबंधी प्रश्नों के उत्तर।
- टैक्स प्लानिंग व टैक्स समाचार।
- प्रत्येक माह के टैक्स संबंधी कार्य।
- जीवन जीने की कला सम्बन्धी परमार्थिक अच्छे विचार।

और भी बहुत कुछ....

15 Years of excellence & still growing...


SECTION 194Q - माल की खरीद पर TDS

- यदि किसी Buyer की Previous Financial Year में Turnover रु. 10 करोड़ रुपये से अधिक है तथा उसके द्वारा एक Financial Year में एक व्यापारी से 50 लाख रुपये से अधिक की खरीद की है। ऐसे में 50 लाख रुपये से अधिक रकम पर 0.1% की दर TDS काटना होगा।
- यह 1 जुलाई 2021 से लागू है।
- धारा 194Q के तहत TDS खरीद के समय Invoice Value (Excluding GST) पर काटा जाना है और यदि Advance Payment किया जाता है, तो Buyer को Advance Payment के समय Advance Payment की राशि पर TDS काटना होगा।
- यह TDS अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना होगा तथा त्रैमासिक रिटर्न (Form 26Q) दाखिल करनी होगी।

SECTION 206C(1H) - माल की बिक्री पर TCS

- यदि किसी Seller की Previous Financial Year में Turnover रु. 10 करोड़ रुपये से अधिक है तथा उसके द्वारा एक Financial Year में एक व्यापारी को 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री की है। ऐसे में 50 लाख रुपये से अधिक रकम पर 0.1% की दर TCS एकत्र करना होगा।
- यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू है।
- व्यापारी से एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से अधिक बिक्री पर 0.1% TCS धारा 206C(1H) के तहत TCS को पूरी तरह से Receipt के आधार पर एकत्र किया जाना है।
- यह TCS अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना होगा तथा त्रैमासिक रिटर्न (Form 27EQ) दाखिल करनी होगी।

Particulars	Sec. 194-Q	Sec. 206C(1H)
Purpose	Deduction of Tax - TDS	Collection of Tax - TCS
Person Responsible	Buyer of Goods	Seller of Goods
Applicable To	Buyer having turnover > Rs. 10 crores during previous FY	Seller having turnover > 10 crores during previous FY
Applicable From	01-07-2021	01-10-2020
Threshold Limit (per FY)	Rs. 50 Lacs purchases from single party	Rs. 50 Lacs sales to single party
Rate of TDS/TCS	0.1% on amount exceeding Rs. 50 Lacs	0.1% on amount exceeding Rs. 50 Lacs
Timing of applicability	Payment or credit, which is earlier (including advance payments)	At the time of receipt of consideration (including advance receipts)



ILLUSTRATIVE EXAMPLES

Turnover FY 20-21		Transaction Value		Applying Section	Amount on which 0.1% shall apply	Analysis
Buyer	Seller	Upto 01-07-2021	On or after 01-07-2021			
2 Cr	6 Cr	40 Lacs	70 Lacs	N/A	NIL	Both Buyer and Seller have turnover less than 10 crores
7 Cr	20 Cr	30 Lacs	60 Lacs	206C(1H)	40 Lacs	Only Seller has turnover more than 10 crores. TCS u/s 206C(1H) applicable @ 0.1% on sale above 50 lacs.
20 Cr	5 Cr	60 Lacs	70 Lacs	194-Q	70 Lacs	Only Buyer has turnover more than 10 crores. TDS u/s 194Q applicable @ 0.1% on purchase above 50 lacs.

Turnover FY 20-21		Transaction Value		Applying Section	Amount on which 0.1% shall apply	Analysis
Buyer	Seller	Upto 01-07-2021	On or after 01-07-2021			
40 Cr	25 Cr	30 Lacs	40 Lacs	194-Q	20 Lacs	Both Buyer and Seller have turnover more than 10 crores. TDS u/s 194Q applicable @ 0.1% above 50 lacs.
50 Cr	25 Cr	70 Lacs	60 Lacs	206C(1H) 194-Q	20 Lac (TCS) 60 Lac (TDS)	Both Buyer and Seller have turnover more than 10 crores. TCS u/s 206C(1H) applicable on seller upto 30.06.2021 @ 0.1% on 20 Lacs (70-50) &. TDS u/s 194Q applicable @ 0.1% on 60 Lacs.
100 Cr	20 Cr	NIL	45 Lacs	N/A	NIL	Not Applicable as sale/purchase less than 50 lacs.

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- यदि धारा 206C(1H) और 194Q दोनों लागू होते हैं, तो Buyer को धारा 194Q के तहत TDS काटना होगा और अगर उसने TDS काट लिया है तो Seller को 206C(1H) के तहत TCS एकत्र नहीं करना होगा।
- यदि Buyer खरीदे गए सामान पर किसी अन्य प्रावधान के तहत TDS कटौती के लिए उत्तरदायी है और उसने उस पर TDS काट लिया है तो उपरोक्त धारा 194Q लागू नहीं होगी।
- यदि Buyer केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, आयोग है तो उपरोक्त धारा 194Q लागू नहीं होगी।
- Seller भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धारा 194Q में Import शामिल नहीं हैं।

सरल टैक्स

इन्कम टैक्स व जी.एस.टी. की मासिक समाचार पत्रिका

सरल टैक्स में प्रत्येक माह आपको आसान भाषा में निम्न जानकारी प्राप्त होती है :-

- व्यापार जगत में काम आने वाले टैक्स कानून की जानकारी ।
- नये नियम, नये नोटिफिकेशन, नये सर्कुलर, नये फैसलों की जानकारी ।
- आपके टैक्स संबंधी प्रश्नों के उत्तर ।
- टैक्स प्लानिंग व टैक्स समाचार ।
- प्रत्येक माह के टैक्स संबंधी कार्य ।
- जीवन जीने की कला सम्बन्धी परमार्थिक अच्छे विचार ।

और भी बहुत कुछ....

SUBSCRIBE TODAY!

FOR MORE DETAILS VISIT www.saraltax.org/shop

15 Years of excellence & still growing...